

180



### न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक

/2019 जिला-राजगढ़

2

पुनर्स्थापन - 0748/2019/राजगढ़/शुभ 78

कालूराम पुत्र श्री लाल दांगी,  
निवासी - भवानीपुरा, तहसील नरसिंहगढ़,  
जिला - राजगढ़, (म.प्र.) -- प्रार्थी  
विरुद्ध

नन्नूलाल (मृत) द्वारा विधिक वारिसान:-

1. सुनीता वैवा स्व० श्री नन्नूलाल
  2. रवि साहू पुत्र स्व० श्री नन्नूलाल
  3. सचिन साहू पुत्र स्व० श्री नन्नूलाल,
  4. राहुल साहू पुत्र स्व० श्री नन्नूलाल
- निवासीगण - धामदोर, तहसील नरसिंहगढ़,  
जिला - राजगढ़, (म.प्र.)

-- प्रतिप्रार्थीगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1612/पी.बी.आर./2005 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.03.2016 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 9 के नियम 32 के अधीन रेस्टोरेशन आवेदन-पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

3

श्री. सुनीता वैवा क्वि  
द्वारा आज दि० 26.6.19 को  
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 19.7.11

जस्टिस  
जकार्ड ऑफ कर 26.6.19  
राजस्व मण्डल, म.प्र. राव

थप

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो 0 0748 / 2019 / राजगढ़ / भू0रा0

कालूराम विरूद्ध अनन्लाल (मृत) द्वारा विधिक वारिसान-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-8-2019	<p>आवेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके तर्क सुने।</p> <p>2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह पुनर्स्थापन आवेदन प्रकरण क्रमांक 1612/पीबीआर/2005 में पारित आदेश दिनांक 09-03-2016 को पुनर्स्थापित किये जाने बावत् दिनांक 19-7-2019 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त दिनांक को आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में खारिज किया गया था। इस न्यायालय में यह पुनर्स्थापन आवेदन लगभग 3 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। 3 वर्ष के दीर्घकालिक विलम्ब के संबंध में कोई ठोस समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया है, जिसके आधार पर जिसके आधार पर 3 वर्ष के विलम्ब को क्षमा किया जा सके। फलस्वरूप यह पुनर्स्थापन आवेदन अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>